

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा / माध्य / संस्था / गोप्र / वी-11 / विविध / बोल.2 / 2021

दिनांक 11.01.2021

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
स्कूल शिक्षा।

विषय:- वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रेषित करने पश्चात ही एसीपी प्रकरण ऑनलाईन अग्रेपित करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि किसी कार्मिक के एसीपी प्रकरण में देय तिथि से न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा सन्तोषजनक की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) की आवश्यकता होती है। प्राप्त सेवा सन्तोषजनक प्रतिवेदन के उपरान्त ही एसीपी प्रकरण में आगे की कार्यवाही संपादित की जाती है। एसीपी प्रकरण में वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अभाव में प्रकरण के त्वरित निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

एसीपी प्रकरण में त्वरित निस्तारण हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य का एसीपी प्रकरण ऑनलाईन अग्रेपित करने से पूर्व विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य की APARs स्टेटस की भलीभांती अवलोकन कर लें। यदि एसीपी देय तिथि से संबंधित APARs बकाया है तो ऑनलाईन प्रकरण प्रस्तुत होने के 03 दिवस के भीतर APARs प्रेषित करके ऑनलाईन निदेशालय हेतु अग्रेसित करें।

www.rajsevak.com

(श्याम सुन्दर सोलंकी)
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा / माध्य / संस्था / गोप्र / वी-11 / विविध / बोल.2 / 2021

दिनांक 11.01.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) संभाग।
2. समस्त मुख्य जि०शि०अ० / समस्त जि०शि०अ० (मुख्यालय) प्रा. / मा
3. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)।
4. समस्त पीईईओ / प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक-माध्यमिक शिक्षा।
5. संबंधित सस्थापन शाखा / लेखा शाखा कार्या. हाजा।
6. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)